झारखंड मंत्रिमंडल ने बिजली बकाया बिल माफ किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **झारखंड सरकार** ने 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होने वाले **लगभग 39.44 लाख उपभोक्ताओं का 3,584 करोड़ रुपए का बिजली बकाया बिल माफ** करने का निर्णय किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस निर्णय का उद्देश्य **मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना** के तहत पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करना है
- राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य निर्णय इस प्रकार हैं:
  - **ड्यूटी या सैन्य ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले झारखंड के** अग्निवीर सैनिकों **के परिवारों को 10 लाख रुपए की** अनुग्रह राशि **और सरकारी नौकरी दी जाएगी।**
    - **अनुग्रह राशि** वह धनराशि है, जो नैतिक दायित्व के कारण दी जाती है न कि कानूनी दायित्व के कारण।
  - **आँगनवाड़ी पोषण सखियों** और रसोइयों के पारिश्रमिक की अवधि 10 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करना।
    - छह ज़िलों-धनबाद, दुमका, गिरिडीह, चतरा, कोडरमा और गोड्डा में 10,388 पोषण सखियों की पुनर्नियुक्ति।

अग्निपथ योजना

- **"अग्निवीर"** शब्द का अर्थ "अग्नि-योद्धा" है। यह एक नया सैन्य पद है।
- यह सैनिक, वायुसैनिक और नाविक जैसे अधिकारी पद से नीचे के सैन्य कर्मियों की भर्ती की एक योजना है, जो भारतीय सशस्त्र बलों में कमीशन प्राप्त अधिकारी नहीं हैं।
- उन्हें **4 वर्ष** की अवधि के लिये भर्ती किया जाता है, जिसके बाद इन भर्तियों में से **25%** तक (जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है), योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अधीन, **स्थायी कमीशन** (अन्य 15 वर्ष तक) पर सेवाओं में शामिल हो सकते हैं।
- वर्तमान में चिकित्सा शाखा के तकनीकी संवर्ग को छोड़कर **सभी नाविक, वायुसैनिक और सैनिक** इस योजना के तहत सेवाओं में भर्ती किये जाते हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/jharkhand-cabinet-waives-power-dues